# प्रेस नोट थाना जैतीपुर
# जनपद शाहजहाँपुर

**सराहनीय कार्य दिनांक : 17.08.2026**

## पुलिस मुठभेड़ में ₹10 हजार का इनामी लुटेरा गिरफ्तार

## थाना जैतीपुर पुलिस द्वारा लूट की घटनाओं में वांछित शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, मुठभेड़ में पैर में लगी गोली; अवैध तमंचा-कारतूस, लूट का मोबाइल, पाजेब, नकदी एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय के निर्देशन में, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी तिलहर के कुशल पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी जैतीपुर के नेतृत्व में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना जैतीपुर पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान लूट के मुकदमे में वांछित चल रहे ₹10,000 के इनामी अभियुक्त चंदन को गिरफ्तार किया गया।

### संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 19.07.2026 को थाना जैतीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 91/2026 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस में वांछित चल रहे अभियुक्त चंदन पुत्र ओमप्रकाश, उम्र करीब 30 वर्ष,नि0मो0 अजीजगंज, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर जिस पर जिला स्तर से ₹10,000/- का इनाम घोषित है, को दिनांक 16.08.2026 की रात्रि में थाना जैतीपुर पुलिस द्वारा मरुआझाला पुलिया पर संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग कर रही थी, तभी कुआंडांडा की ओर से एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति आते दिखाई दिए। पुलिस टीम को देखकर मोटरसाइकिल सवारों द्वारा अचानक पीछे मुड़कर भागने का प्रयास किया गया। पुलिस द्वारा रोकने हेतु ललकारने पर मोटरसाइकिल सवारों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त चंदन के बाएं पैर में घुटने के नीचे गोली लगी। उसे तत्काल प्राथमिक उपचार हेतु सीएचसी जैतीपुर भेजा गया तथा उसका साथी शिवम मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा .315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर एवं 02 अदद खोखा कारतूस .315 बोर, जिसमें 01 अदद खोखा कारतूस तमंचे की नाल में फंसा हुआ था, बरामद किया गया। साथ ही दिनांक 17.07.2026 की रात्रि में जनपद लखीमपुर खीरी में की गई लूट से संबंधित 01 जोड़ी पाजेब सफेद धातु एवं 01 मोबाइल फोन तथा लूटी गई संपत्ति को बेचकर अर्जित धनराशि में से ₹2,040/- बरामद किए गए। अभियुक्त को उसके जुर्म से अवगत कराते हुए कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 23:09 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को नियमानुसार उपचार हेतु सीएचसी जैतीपुर भेजा गया है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

चंदन पुत्र ओमप्रकाश, उम्र करीब 30 वर्ष, नि0मो0 अजीजगंज, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर।

### पंजीकृत अभियोग का विवरण

1. मु0अ0स0 91/26 धारा 309(4)/317(2) बी0एन0एस0, थाना जैतीपुर, जनपद शाहजहाँपुर।
2. मु0अ0स0 106/26 धारा 109(1) बी0एन0एस0 व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना जैतीपुर, जनपद शाहजहाँपुर।

## अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 4759/17 धारा 22/18 एनडीपीएस एक्ट, थाना कोतवाली, शाहजहाँपुर।
2. मु0अ0सं0 4760/17 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम, थाना कोतवाली, शाहजहाँपुर।
3. मु0अ0सं0 438/19 धारा 323/325/504/506 भादवि, थाना कोतवाली, शाहजहाँपुर।
4. मु0अ0सं0 548/19 धारा 323/376/506 भादवि, थाना कोतवाली, शाहजहाँपुर।
5. मु0अ0सं0 143/20 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम, थाना कोतवाली, शाहजहाँपुर।
6. मु0अ0सं0 210/20 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम, थाना कोतवाली, शाहजहाँपुर।
7. मु0अ0सं0 259/20 धारा 307/332 भादवि, थाना कोतवाली, शाहजहाँपुर।
8. मु0अ0सं0 260/20 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना कोतवाली, शाहजहाँपुर।
9. मु0अ0सं0 531/20 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम, थाना कोतवाली, शाहजहाँपुर।
10. मु0अ0सं0 596/20 धारा 307 भादवि, थाना कोतवाली, शाहजहाँपुर।
11. मु0अ0सं0 597/20 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम, थाना कोतवाली, शाहजहाँपुर।
12. मु0अ0सं0 02/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम, थाना कोतवाली, शाहजहाँपुर।
13. मु0अ0सं0 50/21 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व 147/148/149/307 भादवि, जनपद शाहजहाँपुर।
14. मु0अ0सं0 311/21 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना कोतवाली, शाहजहाँपुर।
15. मु0अ0सं0 479/22 धारा 22/8 एनडीपीएस एक्ट, थाना कोतवाली, शाहजहाँपुर।
16. मु0अ0सं0 368/23 धारा 20/8 एनडीपीएस एक्ट, थाना कोतवाली, शाहजहाँपुर।
17. मु0अ0सं0 373/23 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट, थाना कोतवाली, शाहजहाँपुर।
18. मु0अ0सं0 123/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना कोतवाली, शाहजहाँपुर।
19. मु0अ0सं0 270/24 धारा 420/489ए/489बी/489सी भादवि, थाना कोतवाली, शाहजहाँपुर।
20. मु0अ0सं0 271/24 धारा 21/8 एनडीपीएस एक्ट, थाना कोतवाली, शाहजहाँपुर।
21. मु0अ0सं0 150/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना कोतवाली, शाहजहाँपुर।
22. मु0अ0सं0 109/14 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 60 एस0टी0वी0 एक्ट, थाना कोतवाली, शाहजहाँपुर।
23. मु0अ0सं0 147/26 धारा 309(4) बीएनएस, थाना अमापुर, जनपद कासगंज।
24. मु0अ0सं0 137/26 धारा 309(5)/126(2)/115(2) बीएनएस, थाना मिरहची, जनपद एटा।
25. मु0अ0सं0 132/26 धारा 309(4) बीएनएस, थाना कम्पिल, जनपद फर्रूखाबाद।
26. मु0अ0सं0 256/26 धारा 309(4)/324(4) भादवि, थाना फतेहगंज पूर्वी, जनपद बरेली।
27. मु0अ0सं0 356/26 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना कोतवाली देहात, जनपद एटा।

## पूछताछ का विवरण

अभियुक्त चंदन से घटना के संबंध में पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 17.07.2026 की रात्रि में उसने अपने साथी मोहित, सचिन एवं शिवम के साथ मिलकर जैतीपुर-नवादा मोड़ के मध्य हनुमान मंदिर से आगे नवादा की ओर जा रहे एक दम्पत्ति से लूट की थी। लूट में प्राप्त सोने के सामान को चारों ने मिलकर बेच दिया तथा प्राप्त धनराशि आपस में बांट ली थी। लूट में मिली पाजेब की एक जोड़ी उसने अपने पास रख ली थी, जिसे आवश्यकता पड़ने पर बेचने का इरादा था। उसके कब्जे से बरामद ₹2,040/- लूटे गए सामान को बेचने के बाद उसके हिस्से में आई धनराशि में से शेष बचे रुपये हैं, जबकि शेष धनराशि उसने खर्च कर दी। अभियुक्त ने बताया कि उसके साथी मोहित एवं सचिन को जनपद एटा के थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि वह एवं उसका साथी शिवम पूर्व में मौके से भाग गए थे। उसके कब्जे से बरामद मोबाइल फोन के संबंध में बताया कि उक्त मोबाइल फोन उसने अपने साथी शिवम के साथ मिलकर जनपद लखीमपुर खीरी में एक व्यक्ति से छीना था। मोबाइल का लॉक खोलने का उसने काफी प्रयास किया, परंतु वह नहीं खुल सका। अभियुक्त ने यह भी बताया कि उसने अपने साथियों मोहित, सचिन एवं शिवम के साथ मिलकर थाना जैतीपुर क्षेत्र के अतिरिक्त फतेहगंज पूर्वी, कासगंज, कम्पिल एवं एटा क्षेत्र में भी लूट की घटनाएं की हैं। पुलिस से बचने के लिए वे लोग घटनाओं में प्रयुक्त मोटरसाइकिलों को समय-

समय पर बदलते रहते थे। दिनांक 16.08.2026 की रात्रि में भी वह एवं उसका साथी शिवम पैशन प्रो मोटरसाइकिल से घटना करने के उद्देश्य से निकले थे, लेकिन पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान उसे पकड़ लिया गया तथा उसका साथी शिवम मौके से फरार हो गया।

## बरामदगी का विवरण

1. 01 अदद तमंचा .315 बोर।
2. 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर।
3. 01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर, नाल में फंसा हुआ।
4. 01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर।
5. 01 अदद मोटरसाइकिल पैशन प्रो बिना नम्बर प्लेट।
6. 01 अदद वीवो मोबाइल फोन।
7. ₹2,040/- नगद।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

थानाध्यक्ष श्री रामेन्द्र सिंह
उ0नि0 श्री इतेश तोमर
हे0का0 अजय राना
हे0का0 तैय्यब अली
का0 नवीन कुमार
का0 अंकुर कुमार
का0 अरविन्द कुमार
का0 भानू
का0 विजय